(4)

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार

दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण

सं. एफण 02/07/2020/एस.I /   दिनांक 26.03.2020

आदेश सं. – 122

कार्यालय आदेश सं. 121, दिनांक 25.03.2020 के क्रम में, और आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 22 में निहित शक्तियों के अनुपालन में राज्य कार्यकारी समिति राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के अध्यक्ष के रूप में, अधोहस्ताक्षरी द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के विभागों के अनुलग्नक के अनुसार कड़े अनुपालन के निदेश के साथ उपरोक्त आदेश में दिशा–निर्देशों के रूप में एक परिशिष्ट जारी किया जाता है. यह आदेश दिल्ली के सभी हिस्सों में 14 अप्रैल, 2020 की मध्यरात्रि तक लागू रहेगा.

मुख्य सचिव, दिल्ली

प्रेषित

2. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/विभागाध्यक्ष, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।

प्रतिलिपि

2. राज्य कार्यकारी समिति, समस्त सदस्य, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।

विषय : राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में कोविड–19 महामारी के नियंत्रण के लिए के जाने वाले उपायों के दिशा–निर्देशों के संबंध में आदेश सं. सं. एफ 02/07/2020/एस.I दिनांक 25.03.2020 का परिशिष्ट.

क. भारत सरकार के कार्यालय, इसके स्वायत्त/अधीनस्थ कार्यालय और सार्वजनिक निगम, गृह मंत्रालय के आदेश सं. 40–3/2020–डीएम, दिनांक 24.03.2020 तथा उसके बाद जारी परिशिष्ट सं. 40–3/2020–डीएम–1 (ए), दिनांक 25.03.2020 के अनुलग्नक में जारी दिशानिर्देशों का अनुपालन करेंगे।

ख. खंड 2 के उप–खंड (ख) के अंतर्गत, यह जोड़ा जाता है कि वेतन एवं लेखा कार्यालय केवल न्यूनतम स्टाफ के साथ कार्य करेंगे. अनिवार्य सेवाओं के प्रावधान का पर्यवेक्षण करने वाले विभागों के आईएफए केवल न्यूनतम स्टाफ के साथ कार्य करेंगे।

ग. खंड 2 के अलावा निम्नलिखित खंडों को जोड़े जाना :

ई. वन कार्यालय : चिड़ियाघर, नर्सरी, वन्य–जीव, जंगलों में अग्निशमन, पौधों की सिंचाई, गश्त तथा आवश्यकर आवजाही से संबद्ध अपेक्षित स्टाफ/कर्मचारी।

एफ. समाज कल्याण विभाग बच्चों/दिव्यांगों/वरिष्ठ नागरिकों/निराश्रितों/महिलाओं/विधवाओं/सुधार गृहों/पेंशन के लिए केवल न्यूनतम स्टाफ के साथ कार्य करेंगे।

घ. खंड 3 में वेटरिनेरी अस्पताल, फार्मेसी (जन औषधि केंद्र सहित) तथा फार्मास्यूटिकल रिसर्च लैब शामिल हैं.

ङ. खंड 4 के उप–खंड (बी) में बैंकिंग कार्यों के लिए आई.टी. वेंडरय बैंकिंग कार्सपोन्डेंट और एटीएम का संचालन तथा कैश मेनेजमेंट एजेंसियां शामिल हैं.

च. खंड 4 के उप–खंड (ए) में बीजों तथा कीटनाशकों की दुकानें शामिल हैं.

छ. खंड 4 के उप–खंड (के) में जोड़ें :

(के) केवल सरकारी गतिविधियों के लिए डेटा और कॉल सेंटर.

ज. खंड 5 के उप–खंड (क) को इस प्रकार पढ़ा जाए :

(क). अनिवार्य वस्तुओं की विनिर्माण इकाइयों सहित औषधि, फार्मास्यूटिकल, चिकित्सा उपकरणों, इनके कच्चे माल एवं इंटरमीडिएट का विनिर्माण.

झ. खंड 5 के उप खंड (ग) एवं (घ) को जोड़े जाना :

(ग) कोयला और खनिज उत्पादन, परिवहन, विस्फोटकों की आपूर्ति और खनन कार्यों के लिए आकस्मिक गतिविधियां।

(घ) भोजन की मदों, औषधि, फार्मास्यूटिकल, चिकित्सा उपकरणों के लिए पैकिंग सामग्री की विनिर्माण इकाइयां।

ञ. खंड 6 के उप खंड (ग) एवं (घ) को जोड़े जाना :

ग. कार्गों के संचालन, राहत और बचाव तथा उनसे संबद्ध काम करने वाले संगठनों के लिए रेलवे और एयरपोर्ट के कामकाज।

घ. अंतर्देशीय और निर्यात के लिए माल/कार्गो का अंतर्राज्यीय आवागमन।

ट. खंड 6 के अपवाद स्वरूप उप–खंड (ग) को जोड़े जाना :

ग. अनिवार्य वस्तुओं सहित पेट्रोलियम उत्पादों और एलपीजी, खाद्य उत्पादों, चिकित्सा आपूर्ति की सीमा–पार आवाजाही।

ठ. खंड 14 में, निम्नलिखित शर्तों के तहत इंसिडेंट कमांडरों द्वारा पास जारी करने के लिए प्रोटोकॉल :

(क) ऑनलाइन/होम डिलीवरी करने वाले रिटेलरों/ऑपरेटरों तथा अन्य ई–कॉमर्स रिटेलरों/ऑपरेटरों के डिलीवरी कार्मिकों तथा अन्य कर्मचारियों के लिए ई–पास जारी करने की अनुमति दी जाएगी.

(ख) हाथ ठेलों/साइकिल ठेलों वाले पटरी विक्रेताओं तथा फल/सब्जी/ब्रेड/दूध बेचने वालों को पास/ई–पास के बिना अपना कामकाज करने की अनुमति दी जाएगी.

ड. भोजन सामग्री चाहने वाले नागरिकों की सुविधा के लिए, परचून की दुकानें, सुपर मार्केट और अनिवार्य आपूर्ति वाले स्टोर 24 घंटे सातों दिन खुले रहेंगे.

ढ. सब–जिवीजनल मजिस्ट्रेट (इंसिडेंट कमांडर) और उनके समकक्ष सहायक पुलिस आयुक्त सुनिश्चित करेंगे कि उनके संबद्ध कार्यक्षेत्र में अनिवार्य आपूर्ति करने वाली दुकानें अर्थात् खाद्य पदार्थ/ग्रोसरी/दवाएं इत्यादि की दुकानें खुली रहेंगी. इस संबंध में, इंसिडेंट कमांडर द्वारा प्रतिदिन प्रातः 10 बजे तक स्थिति की रिपोर्ट अपर मुख्य सचिव (गृह) को प्रस्तुत की जाएगी.

मुख्य सचिव

दिल्ली